

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 145 : Admissibility of micro films, facsimile copies of documents and computer printouts as documents and as evidence

- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,—
- (a) a micro film of a document or the reproduction of the image or images embodied in such micro film (whether enlarged or not); or
 - (b) a facsimile copy of a document; or
 - (c) a statement contained in a document and included in a printed material produced by a computer, subject to such conditions as may be prescribed; or
 - (d) any information stored electronically in any device or media, including any hard copies made of such information,

shall be deemed to be a document for the purposes of this Act and the rules made thereunder and shall be admissible in any proceedings thereunder, without further proof or production of the original, as evidence of any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible.

- (2) In any proceedings under this Act or the rules made thereunder, where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate,—
- (a) identifying the document containing the statement and describing the manner in which it was produced;
 - (b) giving such particulars of any device involved in the production of that document as may be appropriate for the purpose of showing that the document was produced by a computer,

shall be evidence of any matter stated in the certificate and for the purposes of this sub-section it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it.

धारा 145 : माइक्रो फिल्मों, दस्तावेजों की प्रतिकृति प्रतियों और कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट की दस्तावेजों के रूप में और साक्ष्य के रूप में स्वीकार्यता

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी—

- (क) किसी दस्तावेज की माइक्रो फिल्म या ऐसे माइक्रो फिल्म में जड़ा हुआ चित्र या जड़े हुए चित्रों की पुनः प्रस्तुति (चाहे वे बड़े हो अथवा नहीं); या
- (ख) किसी दस्तावेज की प्रतिकृति प्रति; या
- (ग) किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट कोई विवरण और जो किसी कम्प्यूटर द्वारा जनित किसी मुद्रित सामग्री में सम्मिलित है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए; या
- (घ) किसी युक्ति या मीडिया में इलैक्ट्रॉनिक रूप से भण्डारित कोई सूचना जिसमें ऐसी सूचना की तैयार की गई हार्ड प्रतियां भी हों,

को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए एक दस्तावेज के रूप में समझा जाएगा और उसके अधीन किसी कार्यवाही में, किसी और सबूत या मूल दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण के बिना ही ऐसे स्वीकार्य होगा जैसे मूल दस्तावेज की किसी विषय-वस्तु के साक्ष्यस्वरूप या उसमें कथित कोई तथ्य या साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा।

(2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के कारण साक्ष्य में कथन करने की ईप्सा की गई है, कोई ऐसा प्रमाणपत्र—

- (क) जो ऐसे दस्तावेज की पहचान करता है जिसमें कथन अन्तर्विष्ट है और उस रीति का वर्णन करता है जिसमें इसे प्रस्तुत किया गया था;
- (ख) जो उस दस्तावेज को तैयार करने में शामिल किसी युक्ति की ऐसी विशिष्टियों को प्रस्तुत करता है जो यह प्रदर्शित करने के प्रयोजन के लिए समुचित हों कि दस्तावेज को किसी कम्प्यूटर द्वारा बनाया गया था,

प्रमाणपत्र में कथित किसी मामले का साक्ष्य होगा और इस उपधारा के प्रयोजनों हेतु किसी मामले के संबंध में यह पर्याप्त होगा कि उसका कथन उसे करने वाले व्यक्ति की पूरी जानकारी और विश्वास से किया गया है।